संख्या /उन्तीस(2)/17–2(113पे0)/2012

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 29 जनवरी,2018**

विषय– **केन्द्र सरकार के एस0पी0ए0 कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ की पिथौरागढ– आंवलाघाट (रामगंगा) पंपिग पेयजल की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1742/नियो0अनु0–धनावंटन प्रस्ताव/14 दिनांक 06 मार्च,2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या– 603/2012 के अनुपालन में राज्य सैक्टर (नागर) कार्यक्रम के अंतर्गत पिथौरागढ (आंवलाघाट रामगंगा) पंपिग पेयजल योजना हेतु शासनादेश संख्या– 940/उन्तीस(2)/14–2(113पे0)/2012 दिनांक 22 सितम्बर, 2014 द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन रू0 7944.84 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अब तक निम्न शासनादेशो द्वारा रू0 7133.97 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है:–

धनराशि लाख में

क0सं0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	स्वीकृत धनराशि
1	515/उन्तीस(2)/14–2(113पे0)/2012 दिनांक 26 मई,2014	500.00
2	960/उन्तीस(2)/14–2(113पे0)/2012 दिनांक 23 सितम्बर, मई,2014	500.00
3	560/उन्तीस(2)/14–2(113पे0)/2012 दिनांक 31 मार्च,2015	1200.00
4	500/उन्तीस(2)/16–2(113पे0)/2012 दिनांक 19 मई,2016	2500.00
5	51/उन्तीस(2)/16–2(113पे0)/2012 दिनांक 17 जनवरी,2017	1500.00
6	249/उन्तीस(2)/16–2(113पे0)/2012दिनांक 27 मार्च,2017	200.00
7	882/उन्तीस(2)/16–2(113पे0)/2012दिनांक 19 जून,2017	733.97
	योग	**7133.97**

2– उपरोक्त स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत रू0 7944.84 लाख में केन्द्रांश की धनराशि रू0 7150.36 लाख एवं राज्यांश रू0 794.48 लाख के सापेक्ष एस0पी0ए0 के अंतर्गत भारत सरकार के आदेश संख्या– F.No.44(21)PFI/2013-1421 दिनांक 13 फरवरी, 2015 द्वारा रू0 1500.00 लाख एवं आदेश संख्या– F .No. 44 (21) UT /PF -1/2013-1505 दिनांक 21 मार्च,2016 द्वारा रू0 4839.49 लाख अर्थात कुल रू0 6339.49 लाख की धनराशि के सापेक्ष रू0 7133.97 लाख (केन्द्रांश रू0 6339.49 लाख एवं राज्यांश रू0 794.48 लाख) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

.....2.....

3– अतः उपरोक्तानुसार योजना की कुल अनुमोदित लागत रू0 7944.84 लाख के सापेक्ष वर्तमान तक अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 7133.97 लाख को कम करते हुए अवशेष धनराशि रू0 810.87 लाख में से वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 500.00 लाख (रू0 पॉच करोड मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) प्रतिमाह के अन्त में व्यय विवरण बी0एम0–13 पर एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा किये गये कार्यो का प्रगति विवरण नियमित रूप से शासन को अविलम्ब 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा और महालेखाकार से समय–समय पर आंकड़ों का मिलान सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(v) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(vi) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(vii) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जायेगी एवं कार्यदायी संस्था के रूप में प्रबन्ध निदेशक इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(viii) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता से कार्य स्थल का निरीक्षण भली भॉति अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(ix) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(x) उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xi) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 2047/xiv-219(2006) दिनांक 30 मई,2016 द्वारा निर्गत शासनादेशो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

4– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– 01– जलपूर्ति– – 101– शहरी जलपूर्ति– 03– नगरीय पेयजल– 01– नगरीय पेयजल /जलोत्सारण योजनाओ का निर्माण – 35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

5– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या H 1801131583 दिनांक 19 जनवरी,2018 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून,2017 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 650 /XXVII(2)/2018 दिनांक 18 जनवरी,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव

पृ0सं0 207 (1)/उन्तीस(2)/17–2(113पे0)/2012 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2–जिलाधिकारी, देहरादून।
3–वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4–बजट निदेशालय, देहरादून।
5–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–02
6–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
7– निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8– मीडिया सेन्टर सचिवालय परिसर, देहरादून।
9–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव